



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची
E-mail :- apccfdevjkhk@jharkhandmail.gov.in
Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-27/2017- 1358 दिनांक : 23.10.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण हेतु कुल **रु0 54.298/- (चौवन लाख उन्तीस हजार आठ सौ रुपये)** मात्र अतिरिक्त राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-32/2017-22/स्वी0 व0प0 राँची दिनांक 09.08.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-32/2017- 57/आ0 व0प0 दिनांक 09.08.2017 एवं इस कार्यालय का उप-आवंटन पत्रांक-1071 दिनांक-21.08.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा आपको को पूर्व में 80 हे0 अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण के लिए **43.438 लाख (तैंतालीस लाख तैंतालीस हजार आठ सौ रुपये)** का उप-आवंटन किया गया था। इसके अतिरिक्त वर्तमान में 100 हे0 अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण के लिए **54.298/- (चौवन लाख उन्तीस हजार आठ सौ रुपये)** का उप-आवंटन की जा रही है।

2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर, स्थल विवरणी अनुलग्नक-2 पर एवं ऑन-लाईन उप-आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 के रूप में द्रष्टव्य है।

3. पूर्व उप-आवंटित राशि के यह अतिरिक्त उप-आवंटन है। पूर्व उप-आवंटन के सभी शीर्ष एवं शर्त यथावत रहेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विकासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-27/2017- 1358 दिनांक- 23.10.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/इनविस सेन्टर, झोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-27/2017- 1358 दिनांक- 23.10.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	100.00	31.496	22.802	54.298
योग :-		100.00	31.496	22.802	54.298

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण” योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं०	स्थल / ग्राम का नाम	प्लॉट संख्या	रकबा (हे० मे)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	xi
1	गढ़वा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, छततरपुर	छततरपुर	छततरपुर-275	साही	502, 576 & 577	50
				नावा बजार	विश्रामपुर-149	इटको	1279 & 1335	50
योग:-								100

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
131 डीएरखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्रम	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 229.90	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹0 में)	सामग्री (₹0 में)	कुल व्यय (₹0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 229.90						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	689.70	0.00	689.70	
2.1	सामान्य झाड़ी	हे०	7	1609.30		1609.30	
2.2	कटबेक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हे०	10	2299.00		2299.00	
3	घेरान कार्य			0.00			
3.1	मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 चेन पति हे०	12	2758.80	11782.74	14541.54	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रेंच खोदी गयी है तो ट्रेंच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हों।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 0.027 क्यू० मी० 1000 पीट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	22	5057.80		5057.80	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डेम/कंटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हे०	45	10345.50		10345.50	
6	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	10	2299.00		2299.00	
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०		0.00	1350.00	1350.00	
8	विविध कार्य (छायांकन,साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०		0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य	हे०	28.00	6437.20	9518.75	15955.95	
योग :-			137.00	31496.30	22801.49	54297.79	

अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-27/2017/1358

दिनांक - 23-Oct-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	70086	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	3,149,600.00 रुपये इकतीस लाख उनचास हजार छः सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	70087	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	2,280,200.00 रुपये बाइस लाख अस्सी हजार दो सौ
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
				5,429,800.00
योग:				
क्रमिक योग:	रुपये चौपन लाख उन्तीस हजार आठ सौ			

(SHRI SATNAM SINGH

ADDL. DEPT. SECRETARY

RANCHI